



समुदायिक स्वास्थ्य एवं विकास परियोजना
हरबर्टपुर मसीह अस्पताल
हरबर्टपुर, देहरादून – 248142, (उत्तराखण्ड)
फोन :- 01360 250260
ई.मेल – herbertpur@eha-health.org

विकलांगता संसाधन डायरी

विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) व्यक्तियों हेतु
संसाधन मार्गदर्शिका

द्वारा

शिफा मानसिक स्वास्थ्य एवं विकलांगता परियोजना
हरबर्टपुर मसीह अस्पताल, देहरादून



प्रायोजक :-



TEARA AUSTRALIA

[illegible]

प्रस्तावना

शिफा मानसिक स्वास्थ्य एवं विकलांगता परियोजना – सामुदायिक स्वास्थ्य एवं विकास विभाग, हरबर्टपुर मसीह अस्पताल द्वारा इस “संसाधन मार्गदर्शिका” को व्यक्ति जो विकलांग है एवं मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता , मित्र शिक्षक, आशा कार्यकर्ता , समुदाय आधारित संगठन आदि के लिए निःशुल्क इस्तेमाल हेतु उत्पादित कि गई है जो अपने समुदाय के हितों के लिए स्वैच्छिक रीति से निरन्तर कार्यरत है।

विकलांगता की समस्या का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि परियोजना कि कार्य लक्षित क्षेत्र, सहारनपुर जनपद के सडौली कादीम विकास खण्ड के 35-ग्राम पंचायतों में से लगभग 800 के करीब व्यक्ति विकलांग चिन्हित हुये है, जिनमें से अधिकांश की अभी तक मूलभूत दस्तावेजों जैसे विकलांगता प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पहचान पत्र तक पर भी पहुंच नहीं हो पायी हैं। विकलांगता से संबंधी सरकारी सुविधा के नाम पर भी बहुत ही कम लोग जैसे – विकलांगता पेंशन, उपकरण या अन्य सुविधाओं को प्राप्त कर पा रहे है। जिसके पीछे कई कारण है पर इनमें से विशेष है भेद-भाव, कलंक, अज्ञानता एवं पिछड़ापन इसके साथ जो ख़ास है वो है कि किसी भी गैर-सरकारी संस्था का इस क्षेत्र में मौजूद न होना या फिर विकलांगता के विषय पर मौलिक तौर से कार्य न किया जाना ।

तथापि, उपरोक्त कमियों को देखते हुए “शिफा मानसिक स्वास्थ्य एवं विकलांगता परियोजना” द्वारा इस “संसाधन मार्गदर्शिका” को विकसित किया गया है ताकि व्यक्ति विकलांग हेतू जागरूकता हो सके एवं वो इसमें उपलब्ध कराये गये विभिन्न विभाग एवं उससे संबंधित अधिकारियों के सम्पर्क के माध्यम से अपने पात्रमा हक/ अधिककर एवं सरकार द्वारा ठहराई गई सवाएँ व सुविधाओं को प्राप्त कर सकें। इस सामग्री के उत्पादन हेतु विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया गया है जिस में बुनियादी रीति से जिला सहारनपुर के सरकारी वेबसाइट saharnpur.nic.in का मुख्य इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए शिफा मानसिक स्वास्थ्य परियोजना विशेष रूप से अपना हार्दिक अभिस्वीकृति और पहचान करती है।

मुख्य विभागों की सूची :- जनपद सहारनपुर

संख्या	नाम अधिकारी	विभाग पदनाम (राजस्व विभाग)	कार्यालय दूरभाष न०	मोबाइल न०
1	मौ० शफकत कमाल	जिलाधिकारी – सहारनपुर	2726838 2723434 फैक्स :2715648	9454417575
	श्री जयकान्त- स्टैनो श्री अनीप – स्टैनो		रैसिडेंस – 2716144 2715326	9358316606 9358311421
2	श्री दीपक मीना	मुख्य विकास अधिकारी	2766508	9454416969
3	श्री ओ० पी० वर्मा	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)	2713232	9454416969
4	श्री राकेश कुमार	सिटी मैजिस्ट्रेट, सहारनपुर	2725521	9454417196
5	श्री आर० एन० गुप्ता	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सहारनपुर	2720781 फैक्स :2729388	9454417646
6	श्री अशोक	उपजिलाधिकारी – बेहट एस०टी०	2772252	9454416972 9411294521 9411295792
7	श्री तिलक राम	तहसीलदार – बेहट	2772253	9454416978
8	श्री अमित कुमार	इ-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (ई-गवर्नेंस)		7409735337

9	श्री सुनिल यादव	अपर-मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत सहारनपुर	2723005 2727258	9456027111
10	श्री बुद्धप्रिय सिंह	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर		9453004081 9565833311
	श्री संदीप	अर्दली बेसिक शिक्षा अधिकारी		7351193554
	श्री पारसनाथ गुप्ता	ए0ए0ओ0		9452788989
	श्री अरविन्द कुमार	जिला समन्वयक बेसिक शिक्षा		9415904006
	श्री सुरेन्द्र कुमार			9457429100
11	श्री महेन्द्र जोशी	जिला समन्वयक (निर्माण) बेसिक शिक्षा		9415904156
12	श्री धुवराज यादव	जिला पूर्ति अधिकारी, सहारनपुर		9454313020
	श्री यादव आंकिक	सूचना विभाग	2765234	9758101088
13	डा0 नीरज भारतीय	एल0डी0एम0, पंचाब नेशनल बैंक	2715602	8171979243
		प्रबन्धक, पी0एन0बी0	2715680	9897092578
		मैनेजर, पी0एन0बी0, आवास विकास, स0पुर	2761655	
		मैनेजर, पी0एन0बी0, विकास भवन के सामने	2764445	
14		समन्वयक, नेहरु युवा केन्द्र, स0पुर	2725451	
15	श्री आनन्दपाल सिंह	सहायकनिर्वाचन अधिकारी (पंचस्थानि) स0पुर	2729388	9719039745
	श्री मनोज बाबू	जिला निर्वाचन कार्यलय पंचस्थानि		9837418789
16	मौ0 शफदर अली	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सहारनपुर	2727869	9454418078
17	श्री सोहन लाल अग्रवाल	जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, स0पुर	2722229	7408410818

संख्या	नाम अधिकारी	विभाग पदनाम	कार्यालय दूरभाष नं०	मोबाइल नं०
18	श्री विपिन अग्रवाल	ए०आर०एम० रोडवेज, सहारनपुर	2712051	9412705853
19	श्री राजेश वर्मा	आर०एम० रोडवेज, सहारनपुर	2727750	9412781883
20	श्री वी०एस० रावत	एस०एस०पी० पोस्ट ऑफिस, स०पुर		9411727851
		निदेशक, डाकघर प्रशिक्षण केन्द्र अम्बाला रोड	0132-	9412935600
21	श्री वेद प्रकाश	ए०डी० बचत		9760986975
	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह यादव	वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, पी०आर०ओ० श्री के०पी०सिंह- 9454457657	2727143 2661737 R	94544400308

6

List of departments and Officers: Saharanpur District

संख्या	नाम अधिकारी	विभाग - पदनाम	कार्यालयदूरभाष नं०	मोबाइल नं०
22	श्री शैलेन्द्र कुमार	उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, सहारनपुर	2766180	9452169946
23	श्री रामेन्द्र कुमार	प्र०डी०आई०सी०, अपरसंख्या सहायक	2766586	9759474409
24	श्री ऐफ०सी० शर्मा	जिला सेवायोजना अधिकारी, सहारनपुर	2765826	9412233206
	श्री अश्वनी	ए०एस०ओ०		9412063572
	श्री ब्रजपाल	लिपिक		9457648645
25	मौ० मुस्ताक अहम्मद	समाज कल्याण अधिकारी, सहारनपुर		9532267518

26		जिला विकलांगता सनशाधन केन्द्र, स0पुर		
27		जिला रोजगार कार्यलय		
28	क्षेत्र अधिकारी , बेहट		2772288	9454401607
29	जिला कन्ट्रोल रूम		2775224	100
30	थाना मिर्जापुर		2774325	9454404189
31	कोतवाली बेहट		2772475	9454404177
32	श्री आनन्द पाल सिंह	जिला अग्निशमन अधिकारी	2646100	9454418779
		(चिकित्सा विभाग)		
33	डा0 शईद मौहम्मद	मुख्य चिकित्साअधिकारी, सहारनपुर	2716204	8005192691
	श्री जावेद			8755592165
		(नगर निगम)		
34		नगर पालिका- बेहट	2772221	

दिव्यांग लोगो के अधिकार

क्र०सं०	पात्रता, अधिकार व सेवाएँ	मानक	आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजों कि आवश्यकता	संबन्धित विभाग/ अधिकारी
1	विकलांगता प्रमाण पत्र	हर व्यक्ति जो विकलांग है वह पात्रता हेतु आवेदन पत्र यह प्रमाणित करता है कि व्यक्ति जो विकलांग है वह सेवाओं के लिए उचित पात्र है या नहीं ।	प्रपत्र सी०एम०ओ० कार्यलय से प्राप्त कर भरे 2 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ जिसमें विकलांगता पूर्ण रूप से नजर आते है । जन्म प्रमाण पत्र की प्रति पता हेतु राशन कार्ड या मतदान कार्ड की प्रति या प्रधान द्वारा लिखित में प्रमाण पत्र। उचित दिन पर सी०एम०ओ० कार्यलय जाकर अधिकृत चिकित्सको द्वारा जाँच करवाए व सी०एम०ओ० द्वारा उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करें।	जिला अस्पताल- सी०एम०ओ० कार्यलय
2	विकलांगता पेंशन	उम्र- 18 से 59 वर्ष तक एवं विकलांगता का प्रतिशत 40 (सी०एम०ओ० द्वारा प्रदत्त) हो।	विकलांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या उससे अधिक जन्म प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्ट्रार की नकल ग्राम प्रधान द्वारा	जिला समाज कल्याण विभाग / ब्लॉक कार्यलय

		गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड का कार्ड धारक हो । अथवा आवेदनकर्ता का मासिक आय ₹1000.00 (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त) से अधिक ना हो ।	गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त) आवासीय प्रमाण पत्र या मतदपन कार्ड देता है 1 फोटो व बैंक खाता की प्रति शपथ पत्र जो यह बताते है कि नाम, पता व किसी अन्य पेशान प्राप्त नहीं कर रहे है ।	
3	व्यक्ति जो विकलांग है उनको कृत्रिम अंग हेतु अनुदान	ऐसे व्यक्ति विकलांग जिन्हें ट्राईसाइकिल, स्कील चेर, बैसाखी, छड़ि आदि की आवश्यकता हो, उन व्यक्तियों को कृत्रिम अंग कर्य हेतु अधिकतम ₹ 03500.00 अनुदान स्वरूप दिया जाता है ।	आय प्रमाण पत्र ₹01500 प्रतिमाह विकलांगता प्रमाण पत्र परिवार का विवरण – परिवार रजिस्टर की नकल एक फोटोग्राफ	जिला समाज कल्याण विभाग / ब्लॉक कार्यलय
4	विकलांग दम्पति को शादी हेतु पुरस्कार अनुदान	ऐसे विकलांग दम्पति जो आयकार की श्रेणी में नहीं आते वर वधू दोनों के विकलांग होने पर ₹014000.00 दम्पति के युवक के विकलांग होने पर ₹0 11000.00	आय प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र विकलांगता प्रमाण पत्र परिवार का विवरण शादी पंजीकरण की छायाप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र	जिला समाज कल्याण विभाग / ब्लॉक कार्यलय

क्र०सं०	पात्रता, अधिकार व सेवाएँ	मानक	आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजों की आवश्यकता	संबन्धित विभाग/ अधिकारी
5	विकलांग दुकान निर्माण योजना – इस योजनान्तर्गत रु 020000.00 की धनराशी दुकान निर्माण हेतु दिया जाता है। जिसमें रु0 5000.00 अनुदान, रु0 15000.00 में 4-प्रतिशत ब्याज के रूप में प्रदान किये जाते हैं।	ऐसे विकलांग जिनकी मासिक आय रु01500.00 या उससे कम हो	आय प्रमाण पत्र रु0 1500.00 प्रतिमाह मूल निवास प्रमाण पत्र विकलांगता प्रमाण पत्र परिवार का विवरण आवेदनकर्ता के भूमि के प्रपत्र	जिला समाज कल्याण विभाग/ ब्लॉक कार्यलय
6	व्यक्ति जो विकलांग है उनको रेल या बस यात्रा में छूट	3 वर्ष से अधिक उम्र विकलांगता का प्रतिशत 40 (सी0एम0ओ0 द्वारा प्रदत्त) हो।	मूल निवास प्रमाण पत्र विकलांगता प्रमाण पत्र छूट प्रपत्र राज्य परिवहन या समाज कल्याण कार्यलय से प्राप्त कर जमा करें	राज्य परिवहन या समाज कल्याण कार्यलय

7	मनरेगा योजना के अर्न्तगत विकलांग व्यक्ति के लिए 100 दिन का रोजगार	18 वर्ष से अधिक उम्र	मूल निवास प्रमाण पत्र विकलांगता प्रमाण पत्र अपने ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से मिले और जॉब कार्ड बनवाये	ब्लॉक कार्यलय / ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव
बहुउद्देशिय वित्त एवं निगम द्वारा संचालित योजनाएं				
8	विकलांग ऋण योजना	इस जिविका प्रोत्साहन योजनान्तर्गत हेतु रु0 75000.00 के ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। इस धनराशि में रु010000.00 की छूट तथा शेष धनराशी मात्र 6 प्रतिशत ब्याज पर सुविधा प्रदान की जाती है।	इस योजनान्तर्गत हेतु रु0 75000.00 के ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। इस धनराशि में रु010000.00 की छूट तथा शेष धनराशी मात्र 6 प्रतिशत ब्याज पर सुविधा प्रदान की जाती है।	वित्त एवं निगम विभाग
9	विकलांग मार्जिन मनी ऋण योजना	इस योजनान्तर्गत हेतु प्रदान किया जाता है। जिसमें 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (4 प्रतिशत का ब्याज) तथा रु0 10000.00 की छूट प्रदान की जाती है।	इस योजनान्तर्गत रु0 200 लाख तक का ऋण स्वरोजगार हेतु प्रदान किया जाता है। जिसमें 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (4 प्रतिशत का ब्याज) तथा रु0 10000.00 की छूट प्रदान की जाती है।	

परियोजना विवरण

मानसिक स्वास्थ्य एवं विकलांगता परियोजना पिछले पाँच वर्षों से सहारनपुर जनपद के सड़ोली कदीम विकास खण्ड के 35 ग्राम पंचायतों में फैले 69 गांव में कार्यरत है। इसे टियर आस्ट्रिलिया की वित्तीय सहायता से शुरू किया गया है। हरबर्टपुर मसीह अस्पताल द्वारा परिचालित परियोजना सहारनपुर के मुश्किल व ग्रामिण अंचल में काम करती है।

हरबर्टपुर मसीह अस्पताल

यह एक ट्रस्ट है जो कि एमानुएल हॉस्पिटल एसोसिएशन का अभिन्न अंग है। हरबर्टपुर मसीह अस्पताल देहरादून जिला-उत्तराखण्ड के विकास ब्लॉक के हरबर्टपुर गांव में स्थित है। यह 100 बिस्तरों का अस्पताल है जो न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी, बालशल्य चिकित्सा, आर्थोपेडिक्स परिवार चिकित्सा, प्रसव एवं स्त्री रोग, नेत्र, दंत चिकित्सा, नैदानिक मनोविज्ञान और परामर्श, फिजियो और व्यवसायिक चिकित्सा के साथ-साथ तीन वार्षिक जी0एन0एम0 नर्सिंग व एक वार्षिक हैलथ एसिस्टेंट का कोर्स प्रदान करता है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के अतिरिक्त लहमन अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य एवं विकास विभाग के द्वारा बुनयादी सेवाओं के अलावा विकलांग बच्चों एवं मानसिक स्वास्थ्य में काम करते हैं उनका सामुदायिक पुनर्वास सुनिश्चित करते हैं तथा ग्रामिण कार्यक्रमों के अनुपालन, अनुश्रवण व सशक्ता हेतु ग्राम आधारित संगठन/ समिति को सुदृढ़ बनाते हैं।

“हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं की क्लेश में उनकी सुधि लें, और अपने आपको संसार से निष्कलंक रखें।” याकूब – 1 : 27 (बाईबलिये पद)

